आवश्यक / महत्वपूर्ण
कोर्टकेस

संख्या– 620/60–1–12/सी1/(219)/12

प्रेषक,

श्री सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1 — दिनांक 09 अगस्त, 2012

विषय–महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों / सम्प्रेक्षण गृहों, शरणालयों, महिला वृद्धाश्रम एवं मथुरा एवं वृन्दावन के महिला आश्रय गृह में चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सम्प्रेक्षण गृहों / बाल गृहों / शरणालयों / महिला वृद्धाश्रम एवं वृन्दावन, मथुरा में महिला आश्रय गृह संचालित किए जाते हैं, जिसमें निराश्रित, उपेक्षित, परित्यक्त एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक / बालिकायें / महिलायें / पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलायें आवासित हैं, जिनके भरण पोषण एवं देखरेख का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। स्थानीय स्तर पर आपके पर्यवेक्षण में उक्त संस्थाओं को संचालित किया जा रहा है।

2– उपरोक्त वर्णित संस्थाओं की चिकित्सकीय व्यवस्था के उत्तरदायित्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश संख्या– 3823 / सेक–2–पांच–10–4(171) / 2010 दिनांक 12 नवम्बर, 2010 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्तर से नामित चिकित्साधिकारियों को दिया गया है, जिसमें नामित चिकित्सकों को संस्था में भ्रमण करने के लिए प्रतिमाह नियत मानदेय भी दिया जाता है, परन्तु नामित चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से संस्थाओं का भ्रमण नहीं किया जा रहा है तथा संस्थाओं के संवासियों को अपेक्षित चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त नहीं कराई जा रही है, जिसे मा0 न्यायालयों द्वारा संज्ञान में लेते हुए विभिन्न रिट याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं–

3– मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या– 659 / 2007 में दिनांक 03–08–2012 को मथुरा एवं वृन्दावन में संचालित महिला आश्रमों के संबंध में पारित आदेश–

"A team of doctors from the Civil Hospital Vrindavan/Mathura shall visit the four government run Shelter Homes, at least twice a week from 10.00 am to 12.00 noon to examine the

ailing inmates. However, in case of an emergency, on being informen, the Chief Medical Officer shall ensure that the patient is attended by a doctor from the Hospital without any undue delay"

4— मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या— 25888/209 में पारित आदेश दिनांक 27—07—2012 में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) इलाहाबाद के संवासियों की चिकित्सकीय व्यवस्था पर पारित आदेश —

"The respondents are directed to ensure that there is regular visit of a doctor to the homes, health card of each inmates, shall be prepared. The medical examination of the child is done at least twice in a week and recorded in the card."

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग की समस्त संस्थाओं में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से चिकित्सक नामित कराने, सप्ताह में नामित चिकित्सक द्वारा अनिवार्य रूप से दो बार संस्था का भ्रमण कराने, प्रत्येक संवासी का स्वास्थ्य कार्ड बनवाने, स्वास्थ्य कार्ड में चिकित्सकीय परीक्षण एवं परामर्श का अंकन करने, आकस्मिकता पड़ने पर आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधाओं तथा निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें, जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके तथा शासन एवं प्रशानसन को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े।

भवदीय,

9/8/12

(सदाकान्त)

प्रमुख सचिव।

संख्या–620 (1)/60–1–12/[illegible]/(2k)/[illegible]08

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— गार्ड फाईल हेतु।

(ए0 पी0 सिंह)

अनु सचिव।